

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 49/2022

दायर दिनांक 10.02.2022

वादी	प्रतिवादी
1. पवन कुमार माल्दा पुत्र धारूराम माल्दा उम्र 48 वर्ष जाति कामड़ निवासी कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	1. गीता पुत्री भैरा 2. जगूराम पुत्र भैरा 3. दयाल पुत्र मंगा 4. देवराम पुत्र भैरा 5. देवाराम पुत्र भैरा 6. पेफा पत्नि हनुमान 7. मेघाराम पुत्र लुणाराम 8. रूपाराम पुत्र भैरा 8/1 मंजुदेवी पत्नि स्व0 रूपाराम 8/2 सेवाराम पुत्र स्व0 रूपाराम 8/3 पवनकुमार पुत्र स्व0 रूपाराम 8/4 कालीदेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 8/5 संतोदेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 8/6 कांतादेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 9. रामधन पुत्र मांगीया 10. रामनिवासी पुत्र लूणाराम 11. लालाराम पुत्र लूणाराम 12. शान्ति पुत्री भैरा समस्त जाति नायक निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर। 13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 14. तहसील डीडवाना।
	बनाम्

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व तरमीम नक्शा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।


--:: निर्णय ::--

दिनांक 06.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि शरहद कोलिया, पटवार हल्का कोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 1307 रकबा 0.3400 हैक्टे0, खसरा सं0 1311 रकबा 1.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 1332 रकबा 3.5600 हैक्टे0, खसरा सं0 1334 रकबा 5.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 1341 रकबा 0.6100 हैक्टे0 कुल खसरे 5 कुल रकबा 11.2500 वादी व प्रतिवादी सं0 01 से 13 तक संयुक्त खातेदारी का है।

यह है कि वाकै शरहद कोलिया के खसरा सं0 1307 रकबा 0.3400 हैक्टे0, खसरा सं0 1311 रकबा 1.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 1332 रकबा 3.5600




सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

हैक्टो, खसरा सं० 1334 रकबा 5.6100 हैक्टो, खसरा सं० 1341 रकबा 0.6100 कुल रकबा 11.2500 हैक्टो भूमि में वादी पवनकुमार का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 गीता पुत्री भैरा का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं० 3 दयाल पुमंगा का हिस्सा 1/8, प्रति० सं० 4 देवाराम पुत्र भैरा का हिस्सा 1/40, प्रति. सं० 5 देवाराम पुत्र भैराराम का हिस्सा 1/8, प्रति० सं० 6 पेफा पत्नी हनुमान का हिस्सा 1/6, प्रति० सं० 7 मेघाराम पुत्र लूणाराम का हिस्सा 1/48, प्रति० सं० 8 रूपाराम पुत्र भैरा का हिस्सा 1/40, प्रति० सं० 9 रामधन पुत्र मांगीया का हिस्सा 1/4, प्रति० सं० 10 रामनिवास पुत्र लूणाराम का हिस्सा 1/48, प्रति० सं० 11 लालाराम पुत्र लूणाराम का हिस्सा 1/48, प्रति० सं० 12 शान्ति पुत्री भैरा का हिस्सा 1/40 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थना वादी की प्रार्थना विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार है:-

यह है कि वाकें शरहद कोलिया, पटवाल हल्का कोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना में स्थित खसरा सं० 1307 रकबा 0.3400 हैक्टो, खसरा सं० 1311 रकबा 1.1300 हैक्टो, खसरा सं० 1332 रकबा 3.5600 हैक्टो, खसरा सं० 1334 रकबा 5.6100 हैक्टो, खसरा सं० 1341 रकबा 0.6100 हैक्टो कुल खसरे 5 कुल रकबा 11.2500 में से वादी की 1/4 भाग भूमि को अलग घोषित कि जाकर तदनुसार विधिवत बाई मिट्स एवं बाउन्डस बंटवारा किया जाकर रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 12 की तरफ से ईकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादी सं० 13, 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। नजरीनक्शा व राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावा मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा व राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान् दावा मुताबिक दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादर किया जाता है।

—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादर कर, वाके सरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 1307, 1311, 1332, 1334 में नजरीनक्शा व राजीनामा अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा व राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (निर्णय)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (निर्णय)

नोट:- स ह्वन से खसरा सं० 1341 निर्णय एवं डिडी में टंकित हस्व से पुष्ट गणना है। कतः वाकें सरहद कोलिया के खसरा सं० 1341 निर्णय एवं डिडी में पढ़ा जावे।

सहायक कलेक्टर

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 49/2022

दायर दिनाँक 10.02.2022


वादी	प्रतिवादी
1. पवन कुमार माल्दा पुत्र धारुराम माल्दा उम्र 48 वर्ष जाति कामड़ निवासी कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	1. गीता पुत्री भैरा 2. जगूराम पुत्र भैरा 3. दयाल पुत्र मंगा 4. देवराम पुत्र भैरा 5. देवाराम पुत्र भैरा 6. पेफा पत्नि हनुमान 7. मेघाराम पुत्र लुणाराम 8. रूपाराम पुत्र भैरा 8/1 मंजुदेवी पत्नि स्व0 रूपाराम 8/2 सेवाराम पुत्र स्व0 रूपाराम 8/3 पवनकुमार पुत्र स्व0 रूपाराम 8/4 कालीदेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 8/5 संतोदेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 8/6 कांतादेवी पुत्री स्व0 रूपाराम 9. रामधन पुत्र मांगीया 10. रामनिवासी पुत्र लूणाराम 11. लालाराम पुत्र लूणाराम 12. शान्ति पुत्री भैरा समस्त जाति नायक निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर। 13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 14. तहसील डीडवाना।
	बनाम्

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व तरमीम नक्शा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 06.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई वादी व प्रतिवादीगण स्वयं की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 1307, 1311, 1332, 1334 में नजरीनक्शा व राजीनामा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिक्ॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा व राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.11.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 13/11/22

नोट! - स्टाम्प वकालतनामा सं. 1341 निर्णय एवं डिडी में टंकन करने से रद्द किया है। नोट वारे सरकारी क्रौडिय के खर्च सं. 1341 निर्णय एवं डिडी में पढा जाये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)